(2)(3) (1)

- Superintendent of Land 06. 01. Org. Vill.—Jarsal 02. New Vill.—Jarsal Chhak Records (permanent), District—Ashoknagar. P.H.No.—40.
- 07. 01. Org. Vill.—Badera 02. New Vill.—Badera Chhak P.H.No.—09.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

### भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-03-2013-सात-6.--मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

# अनुसूची

जिला : बुरहानपुर तहसील : बुरहानपुर अधिकार अभिलेख तैयार ग्राम का नाम एवं क्र. करने के लिए प्राधिकृत प.ह.नं. अधिकारी का नाम (1)(2) (3)

- 01. मूल ग्राम—बिरोदा अधीक्षक, भू-अभिलेख,
  - 02. नवीन ग्राम-भोलाना (नियमित) जिला बुरहानपुर. प.ह.नं. 01.
- 01. मूल ग्राम—बोरगांवखुर्द
  - 02. नवीन ग्राम—गारबर्डी प.ह.नं. 09.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

### भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. एफ 15-03-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-03-2013-सात-6, दिनांक 23 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

### Bhopal, the 23rd May 2013

F. No. 15-03-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

#### **SCHEDULE**

| Tahsil: | Burhanpur   | District : Burhanpur  |
|---------|---|---|
| S. No.  | Name of original village                              | Designation of the Officer authorized to prepare record of rights |
| (1)     | (2)   | (3)   |
|         | Org. Vill.—Biroda<br>New Vill.—Bholana<br>P.H.No.—01. | Superintendent of Land Records (permanent), District—Burhanpur.   |

02. 01. Org. Vill.—Borgoan Khurd 02. New Vill.—Garbardi P.H.No.-09.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

## भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

एफ क्र. 15-04-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-

| अनुसूचा |     |                    |                        |  |
|---------|-----|--------------------|------------------------|--|
| तहसी    | ल : | श्योपुर            | जिला : श्योपुर         |  |
| क्र.    |     | ग्राम का नाम एवं   | अधिकार अभिलेख तैयार    |  |
|         |     | प.ह.नं.            | करने के लिए प्राधिकृत  |  |
|         |     |                    | अधिकारी का नाम         |  |
| (1)     |     | (2)                | (3)                    |  |
| 01.     | 01. | मूल ग्राम—बगदिया   | अधीक्षक, भू-अभिलेख,    |  |
|         | 02. | नवीन ग्राम—माधो    | (नियमित) जिला श्योपुर. |  |
|         |     | का डेरा.           |                        |  |
|         | 03. | नवीन ग्राम—दीवानचं | द                      |  |
|         |     | _                  |                        |  |

का डेरा.

प.ह.नं. 04.

04. नवीन ग्राम—तिल्ली डेरा